हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश। बहस वकील वादी सुनी गई।
वास्ते आदेश दिनांक - 26/06/2025 को पेश हो

26/6/25

पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमिया प्रार्थी की पैतृक भूमियॉ है। विवादित भूमियॉ केसरा जी की स्वअर्जित नहीं है। विवादित भूमियॉ प्रतिवादी केसरा के नाम दर्ज हो जाने से व प्रार्थी को विरासत में प्राप्त भूमि से वंचित करना चाहते है। चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि की आय से चरण संख्या संख्या 4 में वर्णित भूमि जो कि प्रतिवादी केसरा के नाम दर्ज है, बनाई है। भूमियॉ विरासत में प्राप्त होने से उक्त भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 का जन्म से अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 का अपनी संतानों के प्रति सम्मान, स्नेह व लगाव नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को जायदाद से बेदखल कर सम्पूर्ण भूमियों में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को ही अधिकार देना चाहता है। विवादित भूमियॉ पैतृक होने व उनकी आय से चरण संख्या 4 में अंकित भूमि बनाई जाने से प्रार्थी विवादित भूमियों में अपना हक व हिस्सा तय करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी को वादपत्र में अंकितानुसार भूमियों में सहखातेदार घोषित किया जावे व विवादित भूमियों में प्रार्थी के निहित हिस्से की भूमि पर से उसे बेदखल नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने, कब्जे काश्त दखलंदाजी नहीं करने व विवादित भूमियों को रहन, बेचान नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 298, खसरा नम्बरान 882 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 296 खसरा संख्या 667, 668, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में स्थित है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1, 5 के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 869, 1733/756 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण के बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :- विवादित भूमि खाता संख्या 298, खसरा नम्बरान 882 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 296 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
विजयगढी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या 667, 668, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में स्थित है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1, 5 के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 869, 1733/756 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में अंकित विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी चन्द्रा से प्रार्थी के पिता केसरा को विरासत में प्राप्त होने से भूमियों पर प्रार्थी का बाई बर्थ राइटस होने से व चरण संख्या 4 में अंकित भूमि, चरण संख्या 2 व 3 में अंकित भूमियों की आय से दादाजी के जीवनकाल में ही बनाए जाने से उक्त भूमि में भी प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 298, खसरा नम्बरान 882 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 296 खसरा संख्या 667, 668, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में स्थित है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1, 5 के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 के पिता व पति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 869, 1733/756 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में अंकित विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी चन्द्रा से प्रार्थी के पिता केसरा को विरासत में प्राप्त होने से भूमियों पर प्रार्थी का बाई बर्थ राइटस होने से व चरण संख्या 4 में अंकित भूमि, चरण संख्या 2 व 3 में अंकित भूमियों की आय से दादाजी के जीवनकाल में ही बनाए जाने से उक्त भूमि में भी प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से व अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बन रहा है।

अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 298, खसरा नम्बरान 882 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 296 खसरा संख्या 667, 668, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में स्थित है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1, 5 के नाम व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 के पिता व पति

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 869, 1733/756 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में अंकित विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के दादाजी चन्द्रा से प्रार्थी के पिता केसरा को विरासत में प्राप्त होने से भूमियों पर प्रार्थी का बाई बर्थ राइटस होने से व चरण संख्या 4 में अंकित भूमि, चरण संख्या 2 व 3 में अंकित भूमियों की आय से दादाजी के जीवनकाल में ही बनाए जाने से उक्त भूमि में भी प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से व उस पर से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने रहन, बय करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 298, खसरा नम्बरान 882 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खाता संख्या 296 खसरा संख्या 667, 668, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880 कुल किता 12 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में निहित हिस्से 1/15 व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 869, 1733/756 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम विजयगढ में निहित प्रार्थी के 1/5 हिस्से की भूमि पर से उसे बेदखल नही करने, कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे, रहन बेचान नहीं करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लिण्डोली